

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
/आदेश/

क्रमांक ई-1/188/2022/5/एक

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2/ उपरोक्तानुसार श्री रामकिशोर शर्मा, ग्राविसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा की सेवाएं उनके मूल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को तत्काल प्रभाव से लौटाई जाती है।


मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
इकबाल सिंह बैस
मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन

क्रमांक ई-1/188/2022/5/एक

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

प्रतिलिपि :-

1. संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
2. रिसर्च आफीसर, कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
5. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
7. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
8. आवासीय आयुक्त, मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली।
9. विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली।
10. कमिश्नर, इंदौर/नर्मदापुरम संभाग।
11. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर/हरदा।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर/हरदा।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. महालेखाकार, आडिट-1/11/निधि-14, मध्य प्रदेश ग्वालियर।
15. उप सचिव (लेखा), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-6/7(3)/2।
16. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना)। उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
17. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
18. संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल।
19. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल।
20. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेंटर, ग्राउंड फ्लोर मंत्रालय, भोपाल।
21. अवकाश पटल/प्रभारी ई-ऑफिस, मंत्रालय, भोपाल।
22. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्य प्रदेश भोपाल को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।


(जितेन्द्र सिंह चौहान)
उप सचिव, "कार्मिक"
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग